मणी देवी / प्रहलाद

ACM-II सीकर 52/2017

मणी देवी बनाम प्रहलाद

52/2017. प्रा० पत्र

21/07/2022

पत्रावली वास्ते आदेश TI लेट पेश हो। वादिनी प्रार्थी व वादिनी अप्रार्थी सं. 1 ने अपने आवेदन व उच्चा० आवेदन अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपील व प्रा० पत्र स्वीकार करने व स्वीकृत करने का निवेदन किया।

बहस वकील उभय पक्ष पर गौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 की संतान है। पूर्वजों की कृषि भूमि ख.नं. 382, 383 कुल किता 2 कुल रकबा 7.4700 है० ग्राम सेवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/8 है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का पूर्वजों का हक व हिस्सा 1/24 अवस्थित है। प्रार्थीगण का हक व हिस्सा रकबा वाद में गणितीय के आधार पर किया जाता है। अतः उभय पक्षकारान को कुल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पोषण किया जाता है कि ख.नं. 382 व 383 कुल किता 2 कुल रकबा 7.4700 है. वाके ग्राम सेवा तहसील धोद जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कक्ष हो। दाखिल दफ्तर हो। नियमानुसार खर्चे-मामला में शामिल रहे।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अभिभाषक संघ, सीकर